इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

पंजी. कार्यालय :– प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002, शाखा पता : प्रथम तल, डी सुदर्शन, निकट चावरी आश्रम, अलवर रोड, गौलवाड़ा –311001

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस ऐंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभारधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती दलजीत कंवर, श्री/श्रीमती धन सिंह, श्री/श्रीमती गजेन्द्र सिंह सोलंकी निवासी : मकान नंबर 80, कोठिया, कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान–311603, अन्य पता : प्लाट नंबर 75, मिसल नंबर 08, ग्राम कोठिया, जीपी–रीघ, पीएस–कोटरी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान–311001 ऋण खाता सं : LA31CLLONS000005032398	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लाट नंबर 75, मिसल नंबर 08, ग्राम कोठिया, जीपी–रीघ, पीएस–कोटरी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान–311001 चौहद्दी – पूरब : रास्ता, पश्चिम : चारभुजा रास्ता, उत्तर : श्री भेम सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण : आम रास्ता	मांग सूचना 10–07–2024 रू. 4,96,223/– (रूपए चार लाख छियानवे हजार दो सौ तेईस मात्र) 09–07–2024 तक देय, साथ में 10–07–2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	02–04–2025 सांकेतिक

स्थान : राजस्थान, तिथि : 05–04–2025 कृते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05030) एवं श्री दीपक सुथार (+91 9649990190)

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय :– प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002, शाखा कार्यालय : दुकान नंबर एस 9, प्रथम तल, लाजपत नगर, जीटी रोड, पीएनबी बैंक से सटी, पानीपत –132103

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस ऐंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभारधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती सुनीता पत्नी कृज मोहन श्री/श्रीमती अर्जुन पुत्र कृज मोहन, पता: ब्लू जे रोड यार्ड नंबर 08 खुआर पन्ना समालखा पानीपत हरियाणा 132101 अन्य पता : खेवट नंबर 1223 खाता नंबर 1305 किला नंबर 69//26(21–12) खेवट नंबर 161 खतौनी नंबर 175 किला नंबर 69 //2 (8–0) 3(8–0) 8(0–8) 9/2/1 (6–18) ...किला 8 रकबा 59 कनाल 05 मरले का 17/10665 भाग बकादर रकबा 01 मरला 08 सरसई कुल रकबा 02 मरले 5 सरसई यानी 75 वर्ग गज वाका समालखा तहसील समालखा जिला पानीपत हरियाणा–132101 (ऋण खाता संख्या) HL11SVLONS000005111177/AP-10260438	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति/प्लॉट भूमि परिमाप क्षेत्र 75 वर्ग गज खेवट संख्या 1223, खतौनी संख्या 1305, रेक्ट संख्या 69, किला संख्या 26(21–12) और भूमि परिमाप 01 मरला 08 सरसई जो खेवट संख्या 161, खतौनी संख्या 175, रेक्ट नंबर 69 किला नंबर 2(8–0), 3(8–0), 8(8–0), 9/2/1(6–18), 13(8–0), 17(7–0), 18(8–0), 23/1(5–7) में शामिल 59 कनाल 05 मरला में से 17/10665 हिस्सा है, जो जमाबंदी वर्ष 2020–2021 के अनुसार राजस्व अभिलेख ग्राम समालखा तहसील समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा में स्थित है।	मांग सूचना : 14–01–2025 रू. 8,94,341/– (रूपए आठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ इकतालीस मात्र) 10–01–2025 तक बकाया + 11–01–2025 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	02–04–2025 सांकेतिक

स्थान : पानीपत तिथि : 05–04–2025 वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

किसी पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें :– किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुमीर तोमर (+91 98184 80101)

एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 11 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से नोटिस, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश वी नियम 20 के साथ पढित

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय–II, नई दिल्ली में

अतुल मित्तल, ज़ील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल बनाम संदीप गोयल और अन्य

अंतरिम आवेदन संख्या 324 / 2024 और 326 / 2024

श्रीमती सुशीला लखोटिया बनाम ज़ील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी याचिका (आईबी) संख्या 237 (एनडी) 2019

सेवा में,

1. **अजय सिंह (आई.ए. संख्या 324 / आई.ए. संख्या 326 / आई.ए. संख्या 326 / आई.ए. संख्या 326 / आई.ए. संख्या 324 में प्रतिवादी संख्या 4)**
   ए–98, फेज–1 विजय विहार, सैक्टर–5 रोहिणी, दिल्ली–110085
2. **रजनीश कुमार (आई.ए. संख्या 324 / आई.ए. संख्या 326 / आई.ए. संख्या 326 / आई.ए. संख्या 324 में प्रतिवादी संख्या 5)**
   निवासी: 1307, 1308, प्रथम तल, संगतराश गली, पहाड़ गंज, दिल्ली–110055
3. **विक्टोरिज़ील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 7, आई.ए. संख्या 326 / 2024)**
   कार्यालय का पता: खसरा नं. 380, भूतल, रंगपुरी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली – 110037

जबकि ज़ील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल श्री अतुल मित्तल ने सी.पी. (आईबी) 237 / एनडी / 2019 में आईबीसी, 2016 की धारा 43 के तहत इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन नंबर 324 / 2024 और 326 / 2024 दायर किया है। जबकि, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली न्यायालय–II ने 01.02.2024 को उपरोक्त नामित सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। दिनांक 17.03.2025 के आदेश के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली न्यायालय–II ने नीचे हस्ताक्षरकर्ता को प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से अभिभाषकों को सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त मामला अब **28.04.2025** को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली न्यायालय–II के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। आप या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि, यदि आप पहले बताए गए दिन उपस्थित नहीं होते हैं, तो अपील की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

दिनांक: 04.04.2025 अतुल मित्तल

ज़ील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान प्रोफेशनल

दिवाशको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
ताराननगर जिला चूरू, वाद संख्या 18/2024 सन् 2024
मोहम्मद सलीम आदि बनाम विरुद्ध मदनलाल आदि
वाद विक्रय अनुबंद दिनांक 21.02.2019 की
विनिर्दिष्ट पालना बाबत

1/4 दीपिका पुत्री स्व. मदनलाल वैद पत्नी श्री विकास छैलाणी निवासी 92 विवेकानन्दपुरी सरायरोहिला दिल्ली में आपके विरुद्ध वाद विक्रय अनुबंध दिनांक 21.02.2019 की विनिर्दिष्ट पालना के लिए वाद पंजियत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 09 माह 04 सन् 2025 को सुबह 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आपका न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है। जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गए हो और जो वाद सम्बधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें। और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुरजाई का दावा/प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या सुनवाई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर कर रहे है तो आप ऐसी दस्तावेजों का उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जानी वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह वाद तारीख 3 माह 4 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मुहर

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
ताराननगर (चूरू)

फॉर्म संख्या INC–26
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
तथा
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
तथा
"खंडेलवाल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड" के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए–4, ग्राउंड फ्लोर, पंपोश एन्क्लेव, नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के पास, नई दिल्ली – 110019 (सीआईएन: U45200DL2012PTC230050) में
(आवेदक)

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है, जो कि बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित कर सकें।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर एक प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा:

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.04.2025

के लिए और की ओर से
खंडेलवाल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड
प्रमिल खंडेलवाल (निदेशक)
डीआईएन– 01139174

Karnataka Bank Ltd.

Your Family Bank. Across India.

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा बी–8, प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली – 110 060	फोन : (011–40597556/Ext-240) ई–मेल : delhiarm@ktkbank.com वेबसाइट : www.karnatakabank.com सीआईएन : L85110KA1924PLC001128

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का 54)के अंतर्गत कर्नाटका बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारीके रूप में और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 23.10.2024 को मांग पत्र जारी किया था, जिसके माध्यम से उधारकर्ता/गिरवीदाता/जमानतदाता (1) श्री बंटी कुमार, पुत्र श्री मान सिंह और (2) श्रीमती सुनीता, पत्नी श्री बंटी कुमार दोनों का पता: मकान संख्या–126, श्याम कॉलोनी, ओम एन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा–121001, साथ ही, मकान संख्या–R–175, नंद ग्राम, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश–201003, तथा मकान संख्या–115, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली –110044 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर टर्म लोन खाता संख्या 2237001800015701 के अंतर्गत **रु. 9,92,946.87 (रुपये नौ लाख बानवे हजार नौ सौ छियालीस और पैसे सत्तासी मात्र)** तथा दिनांक 16.10.2024 से ब्याज सहित अन्य व्यय वापस लौटने का निर्देश दिया था| उधारकताओं, गिरवीदाताओं और जमानतदाताओं उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04 अप्रैल 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकताओं, गिरवीदाताओं, जमानतदाताओं को और आम जनता को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें, अन्यथा वह संपत्ति टर्म लोन खाता संख्या 2237001800015701 के अंतर्गत द्वारा **रु. 10,51,463.91 (रुपये दस लाख इक्यावन हजार चार सौ त्रेसठ और पैसे इक्यानवे मात्र) के साथ दिनांक 16.03.2025 से ब्याज सहित और अन्य खर्चों के लिए कर्नाटका बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा के चार्ज के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण:

श्री बंटी कुमार के स्वामित्व मेंप्लॉट संख्या आर–175, नंद ग्राम, जनपद–गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय संपत्ति, कुल माप 26.78 वर्ग मीटर का सभी भाग तथा हिस्सा
सीमाएं: पूर्व : आर–176 , पश्चिम : आर–174, उत्तर : प्रवेश / गली, दक्षिण : आर–194

स्थान : गाज़ियाबाद हस्ताक्षरित
दिनांक : 04.04.2025
कर्नाटका बैंक लिमिटेड की ओर से
मुख्य प्रबंधक एवं अधिकृत अधिकारी

IDBI BANK

ई–नीलामी सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, 4/65, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005,
फोन: 011– 46465263, 9810449799

22.04.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक आयोजित होने वाली वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (आईडीबीआई बैंक लि.) के पास निम्नलिखित अचल सम्पत्तियाँ/प्रतिभूत आस्तियाँ बन्धककृत/प्रभारित हैं। जबकि प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत अधिकृत प्राधिकारियों ने नीचे प्रत्येक कर्जदार के सम्मुख विवरणों के अनुसार कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं (इसके पश्चात कर्जदार कहा जायेगा) से बकायों की वसूली हेतु माँग सूचना निर्गत की है। पुनः संबंधित अधिकृत प्राधिकारियों ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण में निहित शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों का भौतिक/सांकेतिक कब्जा कर लिया है। जबकि कर्जदारों से माँग सूचना के अनुसार तथा वसूलियों, यदि कोई हो, को घटाकर बैंक द्वारा व्यय भावी ब्याज, लागतों तथा प्रभारों सहित आईडीबीआई बैंक लि. के बकाया प्रतिभूति ऋणों की वसूली के लिए प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा की जायेगी। जनसामान्य को या तो व्यक्तिगत या अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से संविदा के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदार/ (सह–कर्जदार) /जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि तथा उसमें उल्लिखित बकाया राशि	प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	ईएमडी तथा संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	बोली वृद्धि	अधिकृत प्राधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम तथा सम्पर्क नं.
1.	श्री अनिल कुमार ठुकराल (कर्जदार), श्रीमती मीनाक्षी ठुकराल (सह–कर्जदार) और श्री राजीव ठुकराल (सह–कर्जदार)	2.12.2019 तथा रु. 1364250/– एवं भावी ब्याज तथा प्रभार	**संपत्ति संख्या 1/6293, पहली मंजिल, गली नंबर– 3, पूर्वी रोहतास नगर, शाहदरा, नई दिल्ली– 110032**	भौतिक	03.12.2020	रु. 1364250/–	रु. 136425/–	21.04.2025 को 5.00 बजे अप. तक	15.04.2025	रु. 10,000/–	नोडल अधिकारी सुश्री रितिका राज 011–46465263. 9911258324 अधिकृत प्राधिकारी – श्री इंद्रपाल सिंह

खाते का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी है तथा आईएफएससी कोड : रु. 10,000/–, खाता संख्या : 41334915010026, नाम : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईएफएससी कोड : IBKL0000413

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुरूप की जायेगी। (1) प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है आधार,'' ''जो है यही है आधार'' ''जो कुछ भी है वहीं है आधार'' तथा ''आश्रय रहित आधार'' पर प्रतिभूत लेनदार अर्थात आईडीबीआई बैंक लि. के लिए तथा उसकी ओर से की जायेगी। (2) यह बिक्री इस विज्ञापन तथा ''संविदा दस्तावेज'' में दिये गये नियमों तथा शर्तों के पूर्णतः अनुरूप की जायेगी। संविदा दस्तावेज हमारे किसी भी कार्यालय से सभी कार्यकारी दिवसों पर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई की वेबसाइट अर्थात www.idbi.com तथा https://www.bankeauction.com से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। (3) बिक्री ई–नीलामी सेवा प्रदाता सी। इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauction.com पर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म पर सम्पन्न होगी। सम्पर्क व्यक्ति : विनोद चौहान (ई–मेल : delhi@c1india.com तथा support@bankeauctions.com) या सेल : +91–9813887931 | दूरभाष : +91–124–4302020 (4) अधिकृत प्राधिकारी को यदि स्वीकार्य प्रतीत न हो तो उपर्युक्त किसी संविदा को स्वीकार करने या सभी संविदाओं को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को विलम्बित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। (5) सफल संविदाकार को जमा की गयी धरोहर राशि सहित बिक्री मूल्य का 25% बिक्री की पुष्टि के समय जमा करना अपेक्षित है। बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या एओ द्वारा सहमति के अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में असफल होने पर धरोहर राशि सहित जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। (6) 25% संविदा राशि तुरन्त जमा करने अथवा निर्धारित अवधि के भीतर संविदा राशि का शेष 75% जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और प्रतिभूति आस्तियों का पुनः विक्रय किया जायेगा। (7) पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित समस्त विधिक देयताएँ/सहायक प्रभार/अन्य बकायों का वहन क्रेता द्वारा किया जायेगा। अधिक विवरण, सम्पूर्ण नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.idbi.com देखें तथा/अथवा ऊपर प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित नोडल अधिकारियों/अधिकृत प्राधिकारियों से सम्पर्क करें।

सरफैसी अधिनियम 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के तहत 15/30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना कर्जदार/जमानतियों को एतद्वारा अपटूडेट ब्याज तथा अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि ई–नीलामी तिथि के पूर्व अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाये, यदि कोई हों, की वसूली ब्याज तथा लागतों सहित की जायेगी।

तिथि : 05.04.2025, स्थान : नई दिल्ली हस्ता./– अधिकृत प्राधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.

आईएनसी – 26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरित करने के संबंध में समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केंद्र सरकार के समक्ष
पश्चिमी क्षेत्र
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
भाटिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय ई–2/1, डीडीए मार्केट, सुलतानपुरी, सी ब्लॉक, उत्तर पश्चिम दिल्ली, इंडिया–110086,
CIN- U43219DL2024PTC434334
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी सोमवार, 05 फरवरी, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार (माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को शक्तियां सौंपी गई हैं) को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक अनुरूप फॉर्म दाखिल करके एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, पता– बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजनी होगी:

याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से
(भाटिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रा. लि.)
मनोहर लाल भाटिया, निदेशक
DIN: 10712787

दिनांक : 04.04.2025
स्थान : नई दिल्ली

ujjivan SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय: ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा 'ए' क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560095
क्षेत्रीय कार्यालय:- जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (उ.प्र.)-201301
शाखा कार्यालय:- भूतल, नगर निगम नंबर 03/311, श्री रामधारी प्लाजा, बनधारी नगर, निरंजनपुरी, तहसील कोइल, अलीगढ़-202001
भूतल, आकाशदीप बिल्डिंग, भूतेश्वर रोड, बीएसए कॉलेज के सामने, मथुरा, उत्तर प्रदेश -281004
प्रथम तल, वासुदेव गंज, (राजस्व ग्राम बाला पट्टी अधिया), आगरा अलीगढ रोड, तहसील हाथरस-उत्तर प्रदेश-204101
भूतल, दुकान नंबर 113/144 (1) और 113/144-ए, प्लॉट नंबर 188, ब्लॉक-सी, योजना नंबर 7, गुटैया, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208002

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफैसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी ''जहाँ है जैसा है'' तथा ''जो है यही है'' के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह- कर्जदार / गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस एवं मांग राशि	कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) भारतीय रुपये में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी भेजने हेतु खाता विवरण
1.	22692100 90000066	ए.के. इंडस्ट्रीज अपने प्रोपराइटर यामीन खान के माध्यम से, मकान नंबर 880, बिजली घर के पास, मुल्लापारा भुज पुरा, अलीगढ़, उ.प्र. -202001,